पत्र संख्या-वैट परिपत्र - / (07-08) /   496   /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(वैट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: जनवरी   8 ,2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

वैट अध्यादेश की धारा 22 में कर योग्य एवं नान वैट गुड्स के लिये पंजीकृत व्यापारी द्वारा विभिन्न प्रकार के इन्वाइस जारी करने की व्यवस्था है इस इन्वाइस में किन बातों का उल्लेख होगा इसकी व्यवस्था नियम 44 में दी गई है ।

टैक्स इन्वाइस

वैट नियमावली के नियम 44 (1) में टैक्स इन्वाइस में निम्न तथ्यों के अंकित किये जाने का उल्लेख है :-

1- विक्रेता व्यापारी का पूरा नाम व पता एवं मुद्रित टिन संख्या
2- शाखा का नाम व पता जहाँ से माल बेचा जा रहा हो
3- टैक्स इन्वाइस की मुद्रित पुस्तक संख्या, क्रम संख्या एवं जारी करने का दिनांक
4- टैक्स इन्वाइस को अभिप्रमाणित (authenticate) करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
5- क्रेता व्यापारी का नाम व पता
6- माल का पूर्ण विवरण, माल की मात्रा व माल का मूल्य (समस्त छूट अथवा खर्चों सहित)
7- कर की दर, कर की धनराशि एवम् टैक्स इन्वाइस की कुल धनराशि
8- क्रेता व्यापारी की टिन संख्या
9- टैक्स इन्वाइस जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

वैट नियमावली के 44 (1) में यह प्राविधान किया गया है कि यदि किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा इन्वाइस जारी किया जाता है जिसमें टैक्स इन्वाइस की उक्त सारी सूचनायें उपलब्ध हो तो उसे भी वैट अध्यादेश के अन्तर्गत मान्यता दी जायेगी । यहाँ यह स्पष्ट करना है कि टैक्स इन्वाइस पंजीकृत विक्रेता व्यापारी द्वारा पंजीकृत क्रेता व्यापारी को जारी किया जायेगा और इसमें कर अलग से चार्ज किया जायेगा । इस पर अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होगें ।

कर की गणना

सेल इन्वाइस नान वैट गुड्स के लिये जारी किया जायेगा और करदेयता होने पर अलग से कर चार्ज किया जा सकता है । जहाँ तक बिल / इन्वाइस ओर कैशमेमो / क्रेडिट मेमो का प्रश्न है, यह पूर्व की भाँति जारी किये जाते रहेंगे । इनके स्थान पर सेल इन्वाइस भी जारी किया जा सकता है । वैट गुड्स के मामले में पंजीकृत से भिन्न व्यक्ति को बिक्री करने पर, बिल / इन्वाइस / कैशमेमो / क्रेडिटमेमो या सेल इन्वाइस पर विक्रेता व्यापारी कर अलग से चार्ज कर सकते है या कर सहित मूल्य दर्शाने के लिये स्वतंत्र है परन्तु जहाँ पर पंजीकृत से भिन्न व्यक्ति को वैट गुड्स या कर योग्य नान वैट गुड्स की बिक्री कर सहित दर्शायी गयी है वहाँ पर कर की गणना निम्न सूत्र (Formula) से की जायेगी ।

$$\text{देय कर की धनराशि} = \frac{\text{कर की दर x विक्रय मूल्य}}{100 + \text{कर की दर}}$$

जहाँ पर वैट गुड्स M.R.P. (अधिक्तम खुदरा मूल्य) पर बिक्री की गई है जिसमें कर की धनराशि शामिल है, के मामलों में कर की गणना उपरोक्त सूत्र (Formula) से की जायेगी तथा कर की धनराशि कम करने पर कर योग्य विक्रयधन आंकलित हो जायेगा।

पंजीकृत व्यापारी द्वारा यदि किसी अपंजीकृत से खरीद की जाती है, तो पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपंजीकृत व्यापारी को खरीद बीजक जारी किया जायेगा और इस पर कर का भुगतान किया जायेगा और धारा 13 के प्रविधानो के अनुसार ITC का लाभ क्रेता व्यापारीं को मिलेगा।

आढ़तियों के व्यवस्था

एजेन्ट द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों से प्रिंसिपल के लिए की जाने वाली खरीद हेतु प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रिंसिपल को बिल जारी किया जायेगा जिसमें माल के क्रय मूल्य के साथ सभी व्यय का विवरण अंकित होगा। एजेन्ट द्वारा कर का भुगतान करके एक प्रमाण पत्र फार्म VI प्रिंसिपल को जारी किया जाायेगा और इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रिंसिपल के द्वारा एजेन्ट द्वारा दिये गये कर के भुगतान के सम्बन्ध में ITC का दावा किया जायेगा। माल का परिवहन एजेन्‍ से प्रिंसिपल को करते समय माल के साथ अभिप्रमाणित चालान / ट्रान्सफर इन्वाइस भेजा जायेगा। इसी प्रकार पंजीकृत प्रिंसिपल विक्रेताा आढ़ती (सेलिंग एजेन्ट) को बिक्री हेतु माल भेजते समय अभिप्रमाणित चालान / ट्रान्सफर इन्वाइस भेजा जायेगा। विक्रेता आढ़ती बिक्री के विवरण के साथ प्रमाण पत्र फार्म V प्रिंसिपल को जारी करेगा जिसके आधार पर प्रिंसिपल इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेगा।

बिल / कैशमेमो आदि का रख रखाव

परिपत्र सं0 472 दि0 26-12-07 में यह स्पष्ट कर दिया गया था व्यापारी द्वारा जो स्टेशनरी बिल / इन्वाइस / कैशमेमो आदि के लिये प्रयोग की जा रही थी उसके क्रमांक नं0 भी उसी क्रम में दि0 31-03-2008 तक जारी रह सकते है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक कर इन्वाइस पर टिन नं0 का छपा होना जरूरी है क्योकि पंजीकृत व्यापारी के लिये यह व्यवस्था पूर्व ही अर्थात दि 01-12-2007 से अनिवार्य कर दी गई थी। टैक्स इन्वाइस पर बिना छपे टिन नं0 मान्य नहीं होंगे। कम्प्यूटर जनित इन्वाइस के सम्बन्ध मे यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कम्प्यूटर इन्वाइस पर टिन न0 छपे हुये हैं तो पूर्व में प्रयोग की जा रही कम्प्यूटर इन्वाइस मान्य होगी और यह व्यवस्था 31-03-2008 तक चलती रहेगी। कम्प्यूटर जनित इन्वाइस की हार्ड कापी रखनी होगी जिसे कम से कम 50 प्रति की बाउण्ड बुक के रूप में रखा जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न प्रकार की इन्वाइसों में बुक नम्बर डालने की बाध्यता नहीं है यदि व्यापारी नियम 44 में निर्धारित सूचनायें इन्वाइस में दे देता है, तो एक ही इन्वाइस सभी प्रकार की बिक्री के लिये प्रयोग की जा सकती है।

वे व्यापारी जो अपना माल सचल बिक्रय केन्द्र अथवा वैन्डर के माध्यम से बिक्री कराते है ऐसे व्यापारी प्रत्येक सचल बिक्रय केन्द्र/वैन्डर के लिये अलग-अलग बुक न0 रखेगे तथा इनके क्रमांक क्रमागत होगें। कितने सचल विक्रय केन्द्र/वैन्डर कार्यरत है की सूचना विभाग को देना अनिवार्य होगा।

माल परिवहन के दौरान प्रपत्र

इस तथ्य को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि परिवहन के दौरान माल के साथ कोई एक वैध प्रपत्र (डाकूमेन्ट), जैसे कि टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस, चालान, बिल, कैशमेमो, ट्रान्सपोर्ट मेमो आदि उपलब्ध है तो सचल दल अधिकारियों द्वारा माल को नहीं रोका जायेगा । टैक्स इन्वाइस जारी करने के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का व्यापाक प्रचार विभिन्न व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों में किया जाये ताकि किसी प्रकार की भ्रान्ति / समस्या न रहें ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में) ।
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उार प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, उ0प्र0 ।
(5) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0 नु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(6) अपर निदेशक, सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
(7) महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
(8) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
(9) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ ।
(10) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
(11) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद ।
(12) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा ।
(13) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर,, गाजियाबाद ।
(14) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर,लखनऊ / इलाहाबाद ।
(15) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियॉ ।
(16) वैट अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(17) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदे श ।
(18) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर,, मुख्यालय ।
(19) अध्यक्ष, उार प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ
(20) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
(21) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(22) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
(23) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
(24) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
(25) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ ।
(26) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ ।
(27) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
(28) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद ।
(29) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(30) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(31) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
(32) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
(33) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर ।
(34) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
(35) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।

(36) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(37) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

(38) श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।

(39) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर ।

(40) श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा ।

(41) श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर ।

(42) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।

(43) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद ।

(44) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल, उार प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।

(45) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।

(46) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।

(47) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।

(48) श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।

(49) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।

(50) श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।

(51) श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।

(52) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।

(53) श्रीअरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।

(54) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।

(55) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।

(56) श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0 एन0 रोड, अमीनाबाद , लखनऊ ।

(57) अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097 ।

(58) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।

(59) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवाला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।